महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

नेशनल हाइवे न. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर
0151–2212041, 2212042 (फैक्स) 2212044

क्रमांक प.07(334-VI)मगंसिविबी/शैक्ष./बोम–18/2011/3543–3559 दिनांक 28/3/2012

समस्त सदस्य
प्रबन्ध मण्डल,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राज.)

विषय :– प्रबन्ध मण्डल की 18वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 17–03–2012 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 18वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

28/3

कुलसचिव

क्रमांक प.07(334-VI)मगंसिविबी/शैक्ष./बोम–18/2011/3560–3575 दिनांक 28/3/12

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1. वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/शैक्षणिक), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव

XVIII

प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 17–03–2012 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 18 वीं बैठक दिनांक 17–03–2012 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. गंगा राम जाखड़	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. एल. एन. गुप्ता (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
3.	प्रो. रविन्द्र शर्मा (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
4.	डॉ. के.एस. यादव (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	–	सदस्य
5.	डॉ. आर. के. वर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय)	–	सदस्य
6.	डॉ. विमलेन्दु तायल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्राचार्य, निजी महाविद्यालय)	–	सदस्य
7.	श्री मनीराम (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य
8.	श्री एच.आर. इसरान (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	–	सदस्य
9.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
10.	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)	–	सदस्य
11.	श्री अरविन्द सिंह शेखावत	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सभी उपस्थित सदस्यों, विशेषकर प्रबन्ध मण्डल में नव–मनोनीत सदस्य डॉ. के.एस. यादव का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निवर्तमान सदस्यों डॉ. एस.एस. टाक एवं डॉ. सुरेश अग्रवाल के योगदान की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–18/2012/195

प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक दिनांक 17–12–2011 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका है। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– महाविद्यालयों पर शास्ति आरोपित करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णिय सं. मगंसिविबी/बोम–17/2011/191 के द्वारा आरोपित शास्ति को कम करने हेतु विभिन्न महाविद्यालय प्रबन्धकों से अनुरोध प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा पुनः विचार–विमर्श किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा सत्र 2011–12 में एवं तत्पश्चात् शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में निम्न संशोधन के साथ कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया :–

विवरण	जिन महाविद्यालयों पर सत्र 2011–12 से पूर्व एक या अधिक बार शास्ति आरोपित हो चुकी है	जिन महाविद्यालयों पर सत्र 2011–12 से पूर्व शास्ति आरोपित नहीं हुई है	
(1) योग्यता धारी व्याख्याताओं की स्थिति		प्रथम बार	द्वितीय बार
अ. 50 प्रतिशत से कम होने पर	2.00 लाख रु.	1.00 लाख रु.	2.00 लाख रु.
ब. 50–75 प्रतिशत तक	1.00 लाख रु.	50,000/–रु.	1.00 लाख रु.
(2) एण्डोमेंट फण्ड का निर्माण न करने पर	वांछित एण्डोमेट फण्ड के समान राशि	50,000/–रु.	वांछित एण्डोमेट फण्ड के समान राशि

प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यवाही विवरण में इस आशय का संशोधन किया गया कि सत्र के दौरान दिसम्बर माह के अंत तक किसी योग्यताधारी शिक्षक के किसी कारण विशेष से महाविद्यालय से कार्यमुक्त हो जाने की स्थिति में उपरोक्त शास्ति राशि में माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकेगी।

साथ ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यवाही विवरण में इस आशय का संशोधन भी किया गया कि दो बार शास्ति आरोपित किए जाने के बाद आगामी सत्र से ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–18/2012/196

प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक दिनांक 17–12–2011 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–18/2012/197

विश्वविद्यालय में नये कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.31(4) आरबी/2011/5257 दिनांक 02–12–2011 तथा पत्र क्रमांक एफ.31(3) आर.बी/2011/285 दिनांक 10–01–2012 एवं पत्र क्रमांक एफ.31(3) आर.बी/2011/714 दिनांक 30–01–2012 के अनुसार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2003 की धारा (1) (i) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन हेतु नामों की सूची (पैनल) तैयार किये जाने के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति हेतु विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय या इसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो, का मनोनयन किया जाना है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा मनोनीत उक्त सदस्य का नाम, पद, पता, फोन न. एवं फैक्स न. आदि की सूचना राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार चयन समिति हेतु एक सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय में नये कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा डॉ. एस.एस. टाक, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ''वात्सल्य'' आदर्श नगर, लालसागर, जोधपुर का सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–18/2012/198
विश्वविद्यालय के वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान एवं वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव –

विश्वविद्यालय का सामान्य तथा स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2012–13 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2011–12 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बजट नोट में अंकित प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के वर्ष 2012–13 के बजट अनुमान एवं वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही माननीय सदस्यों ने सुझाव प्रस्तुत किया कि वेतन मद में सम्पूर्ण अनुदान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने के लिए राज्य सरकार को लिखा जाना चाहिए क्योंकि वेतन मद में विश्वविद्यालय की आय में से भुगतान करने पर कालांतर में विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने विभिन्न महाविद्यालयों, समन्वयकों, परीक्षकों, अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिम राशि के शीघ्रातिशीघ्र समायोजन का सुझाव दिया। इन सुझावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

बजट प्रस्तावों के साथ ही सदस्य सचिव द्वारा वर्ष 2010–11 की सनदी लेखाकार (सी.ए.) द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भविष्य में सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु पृथक् से एजेण्डा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। सदस्य सचिव ने सदन को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–18/2012/199
विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

वर्ष 2011–12 में विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के सम्बन्ध में तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विस्तृत विचार विमर्श उपरांत प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–18/2012/200

उप कुलसचिव एवं निदेशक शोध के एक–एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F.20(2)Edu.-4/2007 dated 08-12-2010 के द्वारा उप कुलसचिव एवं निदेशक शोध के एक–एक पद को नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा सीधी भर्ती से नियमानुसार भरने की स्वीकृति की अनुपालना में समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाकर आवेदन पत्र मांगे गए। उप कुलसचिव पद के लिए योग्य 16 अभ्यर्थियों एवं निदेशक शोध पद के लिए योग्य 12 अभ्यर्थियों को दिनांक 30–01–2012 को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। उक्त पदों के लिए संबंधित चयन समितियों द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों का दिनांक 30.12.2012 को साक्षात्कार लिया जाकर सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

निर्णय :– उप कुलसचिव एवं निदेशक (शोध) के एक–एक पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा (छायाप्रति संलग्न) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी गई। चयन समिति द्वारा उप कुलसचिव पद पर डॉ. बेट्ठल दास बिस्सा एवं निदेशक शोध पद पर डॉ. सूरजा राम जाखड़ के चयन सम्बंधी प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए तद्नुसार उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–18/2012/201

स्टेनों ग्रेड–द्वितीय, कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना

(i) <u>स्टेनों ग्रेड-II</u> पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय सेवा नियम 30(2) परिशिष्ट IV (2) के अन्तर्गत गठित समिति की अनुशंसा तथा माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 25–01–2012 की पालना में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक प.03(01)मगंसिविबी/संस्था/2011/40512–20 दिनांक 28–01–2012 के द्वारा श्री दिनेश मदान पुत्र श्री दर्शन लाल मदान को स्टेनों ग्रेड–II के रिक्त पद पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर रूपये 10,000/– प्रति माह स्थिर वेंतन पर (वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे 3200/–) नियुक्ति प्रदान की गई। श्री मदान ने दिनांक 04–02–2012 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री मदान की स्टेनों ग्रेड–II के पद पर नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है। नियुक्ति आदेश दिनांक 28–01–2012 की छाया प्रति संलग्न है।

(ii) <u>कम्प्यूटर ऑपरेटर</u> पद पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 25–01–2012 की पालना में आदेश क्रमांक 40502–10 दिनांक 28–01–2012 के द्वारा श्री राजेश आसोपा पुत्र श्री रामदेव आसोपा एवं श्री भुवन पालीवाल पुत्र श्री भवानीशंकर पालीवाल को कम्प्यूटर ऑपरेटर के नवसृजित पदों पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर रूपये 10,000/– प्रतिमाह स्थिर वेतन पर (वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे 3200/–) नियुक्ति प्रदान की गई। श्री भुवन पालीवाल ने दिनांक 01–02–2012 को पूर्वान्ह में कार्यग्रहण कर लिया है। श्री आसोपा एवं श्री पालीवाल की कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्ति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है। नियुक्ति आदेश दिनांक 28.01.2012 की छाया प्रति संलग्न है।

<u>निर्णय</u> :– उक्त नियुक्तियों की जानकारी प्रबन्ध मण्डल द्वारा Noted की गई। माननीय सदस्य डॉ. वी. तायल द्वारा शेष पदों की भर्ती के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत

सभी शैक्षिक/अशैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। प्रबन्ध मण्डल सदस्यों ने उक्त नियुक्तियों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए माननीय कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–18/2012/202
प्रबन्ध मण्डल सदस्यों/चयन समिति सदस्यों के ठहराव/भोजन व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान करने की स्वीकृति का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में प्रबन्ध मण्डल बैठक एवं साक्षात्कार आयोजन हेतु चयन समिति के माननीय सदस्यों को यात्रा भत्ता भुगतान, ठहराव एवं भोजन/अल्पहार की व्यवस्था की जाती रही है। वर्तमान में प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता भुगतान के साथ दैनिक भत्ता नही दिया जाता है एवं इसकी एवज में ठहराव एवं भोजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती रही है।

प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति की बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को यात्रा भत्ता भुगतान के साथ–साथ उनके ठहराव एवं भोजन/अल्पहार की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– विचार विमर्श उपरांत प्रबन्ध मण्डल द्वारा माननीय सदस्यों को दैनिक भत्ते की एवज में यात्रा–भत्ता भुगतान के साथ उनके ठहराव एवं भोजन/अल्पाहार की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–18/2012/203
राजकीय महारानी सुदर्शना महाविद्यालय, बीकानेर का सम्बद्धता अभिवृद्धि विलम्ब शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :

इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व सत्र 2002–03 तक राजकीय महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय, बीकानेर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त धा तथा महाविद्यालय को सत्र 1999–2000 एवं 2000–01 तक की सम्बद्धता अभिवृद्धि जारी की हुई थी। इस विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड स्थानान्तरण के उपरांत जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सत्र 2001–02 का अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क राशि रू. 4,500/– विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं करवाया गया था तथा सत्र 2002–03 के लिए देय सम्बद्धता शुल्क 30,000/– रू. के स्थान पर महाविद्यालय द्वारा मात्र 12,000/– रू. ही जमा करवाये गये। इसी प्रकार सत्र 2003–04 में स्नातक स्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर की कुल देय सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 1,20,000/– के स्थान पर महाविद्यालय द्वारा 50,000/– रू. ही जमा करवाये गये। इस प्रकार सत्र 2001–02 से 2003–04 तक सम्बद्धता शुल्क पेटे महाविद्यालय के विरूद्ध 92,500/– रू. (4,500+18,000+70,000) बकाया थे, जिनके लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 6050 दिनांक 14.07.03 के द्वारा महाविद्यालय को लिखा था, परन्तु यह राशि आज दिनांक तक विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं करवाई गई है। तत्पश्चात् सत्र 2003–04 में बीकानेर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने से महाविद्यालय ने सत्र 2004–05 से सत्र 2006–07 तक अस्थाई शुल्क बीकानेर विश्वविद्यालय में जमा करवा दिया और अपने पत्र क्रमांक 827 दिनांक 21.04.07 द्वारा सत्र 2008–09 से स्थाई सम्बद्धता हेतु 1,35,000/– रू. विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाये (छायाप्रति संलग्न) जिसमें से विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 3038 दिनांक 08.06.09 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा 45,000/– रू. का समायोजन सत्र 2008–09 के अस्थाई सम्बद्धता शुल्क के रूप में कर विश्वविद्यालय पत्र

क्रमांक 3034–37 दिनांक 08.06.09 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सत्र 2003–04 से 2008–09 तक महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि जारी कर दी गई।

महाविद्यालय ने सत्र 2009–10 का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं करवाया। अतः विश्वविद्यालय में उपलब्ध महाविद्यालय की अधिशेष जमा राशि रू. 90,000/– (1,35,000–45,000) का समायोजन सत्र 2009–10 के सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क के रूप में करने के उपरांत विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 29409 दिनांक 31.01.11 के द्वारा सत्र 2009–10 की अस्थाई सम्बद्धता जारी कर दी गई (छायाप्रति संलग्न)।

महाविद्यालय ने सत्र 2010–11 एवं 2011–12 का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क भी विश्वविद्यालय कोष में जमा नहीं करवाया जिससे विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 14279–80 दिनांक 25.07.11 द्वारा महाविद्यालय को उक्त दोनो सत्रों का सम्बद्धता शुल्क 1,80,000/– (90,000+90,000) एवं सम्बद्धता शुल्क के समान विलम्ब शुल्क 1,80,000/– (90,000+90,000) कुल राशि रू. 3,60,000/– रू. (1,80,000+1,80,000) जमा करवाने हेतु लिखा गया।

महाविद्यालय प्राचार्य ने पत्र क्रमांक 75 दिनांक 10.01.12 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त सत्रों के लिए आरोपित विलम्ब शुल्क पर पुर्नविचार कर, स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। अतः विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के उपरान्त प्रबन्ध मडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को सत्र 2010–11 एवं 2011–12 के लिए देय सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क 1,80,000/– रू. एक माह में विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। साथ ही प्रबन्ध मण्डल द्वारा सम्बद्धता शुल्क के समान विलम्ब शुल्क राशि रू. 1,80,000/– से छूट प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–18/2012/204

बी.एड. महाविद्यालयों द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच नहीं करवाने पर महाविद्यालयों के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 39282–92 दिनांक 13.01.12 द्वारा जिन 11 बी.एड. महाविद्यालयों ने सत्र 2011–12 के शैक्षणिक स्टाफ के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय से नहीं करवाया था, उन महाविद्यालयों पर प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 17.12.2011 के निर्णयानुसार 2,00,000/– रू. की शास्ति आरोपित की गई थी तथा साथ ही मूल अंकतालिकाओं का सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया था। (छायाप्रति संलग्न है।) उक्त पत्र जारी होने के पश्चात् इन सभी महाविद्यालयों द्वारा सामूहिक रूप से माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर उक्त शास्ति राशि माफ करने हेतु निवेदन किया (छायाप्रति संलग्न है।)

उक्त 11 महाविद्यालयों में से 7 महाविद्यालयों ने शास्ति राशि जमा करवा कर मूल अंकतालिकाओं का सत्यापन विश्वविद्यालय में करवा लिया है, परन्तु निम्न चार महाविद्यालयों ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है :–

1. सरस्वती महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हनुमानगढ़।
2. बाबा मस्तनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, नाथावाली, हनुमानगढ़।
3. स्वामी सेवानन्द टी.टी. कॉलेज, सरदारशहर, जिला–चूरू।
4. आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भादरा, जिला–हनुमानगढ़।

अतः महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्ति राशि में छूट प्रदान करने तथा उक्त चार महाविद्यालयों पर आगामी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया कि जिन सात महाविद्यालयों ने प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की पालना में शास्ति राशि 2.00 लाख रूपये विश्वविद्यालय कोष में जमा करवा दिये हैं, उन महाविद्यालयों को शास्ति राशि में 1.00 लाख रूपये की छूट प्रदान करते हुए जमा राशि में से एक लाख रू. सम्बन्धित महाविद्यालय को लौटाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शेष चार महाविद्यालयों में से एक आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भादरा, जिला–हनुमानगढ़ द्वारा शास्ति राशि रू. 2.00 लाख दिनांक 17.03.12 को विश्वविद्यालय कोष में जमा करवाए गए। इस प्रकार अंतिम रूप से तीन महाविद्यालयों द्वारा शास्ति राशि जमा न कराने के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा इनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आगामी सत्र में छात्र आवंटित न करने के लिए एन.सी.टी.ई., पी.टी.ई.टी. एवं राज्य सरकार को लिखा जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–18/2012/205
प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर एक माह नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ते विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

डॉ. प्रतिभा, ऐसोसिएट प्रोफेसर–इतिहास की नियुक्ति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में एसोसियेट पद पर होने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 12.03.2012 को त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के Condition of Service Rule 33 के अनुसार अस्थाई (परीविक्षा काल) कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना दिए जाने पर विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किए जाने या नोटिस की अवधि में कमी रहने पर शेष अवधि का वेतन विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने का प्रावधान निम्नानुसार है :–

Condition of Service etc. Rule 33 : Notice for termnation of service of a temporary employee

(1) Except as otherwise provided in sub rule (2), the service of a temporary employee shall be liable to termination at any time by notice in writing given either by the employee to the employee, or in the lieu of the notice period or the period falling short of notice, the pay all allowances for the same. The period of such notice shall be one month.

डॉ. प्रतिभा द्वारा एक माह से कम अवधि का नोटिस प्रदान करने के कारण शेष अवधि का वेतन विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया है, अतः प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– डॉ. प्रतिभा द्वारा एक माह से कम अवधि का नोटिस प्रदान करने के कारण शेष अवधि का वेतन विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने से छूट प्रदान करने के अनुरोध को प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम–18/2012/206
विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उडनदस्ता टीम भेजने हेतु गठित समिति को मानदेय का भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर उडनदस्ता टीम भेजी जाती है। उडनदस्ता टीम गठन हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों

एवं कर्मचारियों की समिति गठित की जाती है। उक्त समिति द्वारा कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात रूककर उडनदस्ता टीम का गठन कर संबंधित टीम को सूचित करना एवं उनको परीक्षा केन्द्र पर भिजवाने की व्यवस्था की जाती है।

उडनदस्ता गठित करने वाली समिति के सदस्यों को कार्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात रूककर कार्य करने की एवज में प्रत्येक परीक्षा दिवस के दिन परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारी एवं सहायक कर्मचारी के एक पारी के मानदेय के समान मानदेय निम्नानुसार दिया जाना प्रस्तावित है :-

क्र.स.	उडनदस्ता टीम गठन समिति के सदस्य	परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त समकक्ष स्टॉफ।	परीक्षा केन्द्र पर एक पारी के लिए समकक्ष स्टॉफ को भुगतान राशि
1	प्रभारी	केन्द्राधीक्षक	रू. 150/-
2	सह-प्रभारी	अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक	रू. 100/-
3	सहायक प्रभारी	सहायक केन्द्राधीक्षक	रू. 80/-
4	सदस्य	वीक्षक	रू. 70/-
5	मंत्रालयिक कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	रू. 40/-
6	सहायक कर्मचारी	सहायक कर्मचारी	रू. 30/-

टीम का गठन उडनदस्ता टीम गठन हेतु नियुक्त समिति के प्रभारी को परीक्षा अवधि के दौरान 500/- प्रतिमाह मोबाइल बिल पुनर्भरण भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :- उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करते हुए परीक्षा अवधि के दौरान उडनदस्ता टीमें गठित करने वाली समिति के सदस्यों को परीक्षा की एक पारी के मानदेय के समान मानदेय एवं टीम प्रभारी को परीक्षा अवधि के दौरान (अधिकतम 2 माह के लिए) 500/- प्रति माह मोबाईल बिल पुनर्भरण स्वीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या : मगंसिविबी/बोम-18/2012/207

श्री दिनेश चन्द गुप्ता, आर0ए0एस0, भूतपूर्व रजिस्ट्रार के चिकित्सा बिल की राशि रूपए 493101/- के पुनर्भरण का प्रस्ताव :

श्री दिनेश चन्द गुप्ता, तत्कालीन रजिस्ट्रार ने मैक्स बालाजी हॉस्पीटल, नई दिल्ली में स्वयं का ईलाज करवाने का चिकित्सा बिल राशि 493101/- का विपत्र प्रस्तुत किया है। इस विपत्र राशि में उपचार में औषधियों पर हुए व्यय रूपए 218207 के अतिरिक्त शेष व्यय राशि एम्बुलेंस किराया, लेबोरेट्री सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज, आईसीयू रूम रेंट, ब्लड बैंक चार्जेज, कन्सलटेशन फीस आदि से संबंधित है।

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 10 (1) के अनुसार गंभीर रोगों की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और उपचार के साथ, जो अब सरकारी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही है, और राज्य के भीतर अनुमोदित अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जा रही है, सरकारी कर्मचारियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा रेफर किए बिना, राज्य के बाहर अस्पतालों में चिकित्सा परिचर्या और उपचार की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

सहित राजस्थान के भीतर कोई अनुमोदित अस्पताल सम्मिलित है, से ग्रसित सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा मण्डल के परामर्श के आधार पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित करने पर चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए रेफर किया जा सकता है, कि रोग विशेष, जिससे रोगी ग्रसित है, का उपचार राजस्थान के भीतर उपलब्ध नहीं है और राज्य के बाहर विशेष अस्पताल में उपचार कराया जाना रोगी के ठीक होने के लिए निश्चित तौर पर आवश्यक विचारित किया गया है जहाँ ऐसा उपचार उपलब्ध हैं।

श्री गुप्ता द्वारा उक्त नियम 10 (1) व 10 (2) की अनुपालना ना कर बिना रेफरेंस के राज्य के बाहर मैक्स बालाजी प्राईवेट हॉस्पीटल नई दिल्ली में स्वयं का ईलाज कराया गया। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवाएँ (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 के नियम 10 (3) में स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी कर्मचारी आपातकालीन परिस्थितियों के मामले में रेफरेंस के बिना राज्य के बाहर प्राईवेट अस्पताल में किडनी, ह्रदय और किसी अचानक दुर्घटना जैसे जीवन के लिएघातक बीमारी का अन्तरंग इलाज करवाता है तो सरकारी उपचार की लागत का उपगत चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण की उस सीमा तक अनुमति दे सकती है, जो कि यदि उपचार सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में किया जाता, तो उस लागत तक और यदि उस उपचार की सुविधा सवाई मानसिकंह चिकित्सालय, जयपुर में उपलब्ध नहीं हों, तो संतुष्टिपूर्ण रूप से स्पष्ट की गयी ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में एम्स नई दिल्ली में उपचार की लागत तक, पुनर्भरण की अनुमति दे सकती है। ऐसे मामलों में कोई भी यात्रा भत्ता ग्राह्य नहीं होगा।

श्री दिनेश चन्द गुप्ता ने अवगत कराया है कि लिवर की गंभीर बीमारी CLD/PHT से ग्रसित होने के कारण बेहोशी की स्थिति में वेंटिलेशन पर परिजनों द्वारा एम्बुलेंश से दिल्ली स्थित मेक्स बालाजी प्राईवेट हॉस्पीटल में, जहॉ पूर्व में भी ईलाज कराया गया था, भर्ती करवाकर उपचार करवाया गया। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण उक्त नियम 10 (3) के अन्तर्गत Consider करने एवं तद्नानुसार चिकित्सा पुनर्भरण हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि श्री दिनेश चंद गुप्ता को औषधियों के बिलों का नियमानुसार देय राशि तक का पुनर्भरण कर दिया जावे। साथ ही राजस्थान सिविल सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008 के नियम 10 (3) अन्तर्गत देय अन्य व्यय का भुगतान करने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव